न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 106/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खेताराम पुत्र हिमताराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।		1 लूणाराम पुत्र हिमताराम 2 पूनमाराम 3 अर्जुनराम पिसरान चैनाराम 4 लीलाराम 5 केवलराम पिसरान चेतराम उर्फ चेतनराम 6 राजोदेवी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम 7 खेताराम पुत्र सादुलाराम 8 मथरी पत्नी सादुलराम 9 खैराज 10 नरसींगा पिसरान खानु जाति मेघवाल निवासी महाबार 11 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 186, 53 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री गणेश कुमार वकील वादी।

निर्णय

दिनांक 01.08.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 07.06 बीघा खसरा संख्या 232 रकबा 00.04 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 69.06 बीघा कुल रकबा 76.16 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 से 06 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 07 व 08 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का 1/4 हिस्सा है, तथा इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। भूमि का विधिवत् विभाजन नही होने से प्रतिवादीगण, वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप कर भूमि का बेचान करना चाहते है। लिहाजा वादी अपने 1/8 हिस्सा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्रवाई के आदेश पारित किये जाते है। वादी को अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा साक्षी देदाराम पुत्र लुणाराम जाति मेघवाल निवासी करणपुरा महाबार को प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र के आधार पर परिक्षित करवाया गया। साक्षी देदाराम ने वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा होना स्वीकार किया है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अंकित होना पाया गया है। वादी स्वयं ने उक्त भूमि में अपना 1/8 हिस्सा खातेदारी मे होना स्वीकार किया है तथा मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने की सहमति व्यक्त की है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा महाबार पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 07.06 बीघा खसरा संख्या 232 रकबा 00.04 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 69.06 बीघा कुल रकबा 76.16 बीघा भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा है। उसी अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा महाबार पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 07.06 बीघा खसरा संख्या 232 रकबा 00.04 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 69.06 बीघा कुल रकबा 76.16 बीघा भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाकर तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वे उपरोक्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा की भूमि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारान् एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। प्राथमिक डिकरी जारी हो तथा कमीशनर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाडमेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस) प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खेताराम पुत्र हिमताराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।		1 लूणाराम पुत्र हिमताराम 2 पूनमाराम 3 अर्जुनराम पिसरान पिसरान चैनाराम 4 लीलाराम 5 केवलराम पिसरान चेतराम उर्फ चेतनराम 6 राजोदेवी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम 7 खेताराम पुत्र सादुलाराम 8 मथरी पत्नी सादुलराम 9 खेराज 10 नरसींगा पिसरान खानु जाति मेघवाल निवासी महाबार 11 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 88, 53, 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 106 / 2017

निर्णय दिनांक :– 01.08.2018

वकील वादी की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 01.08.2018 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 223 रकबा 07.06 बीघा खसरा संख्या 232 रकबा 00.04 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 69.06 बीघा कुल रकबा 76.16 बीघा भूमि मे वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी मे घोषित किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वे उपरोक्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा की भूमि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारान् एवं मौत बिरान की उपस्थिति मे विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। प्राथमिक डिकरी जारी हो तथा कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पुत्र प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner